

## केन-बेतवा इंटरलिंगिंग प्रोजेक्ट

### (Ken-Betwa Interlink Project)

- ओर नदी (Orr river) में बनने वाला बांध राष्ट्रीय परियोजना के रूप में पहचानी जाने वाली केन-बेतवा इंटरलिंगिंग परियोजना का हिस्सा है।
- मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के डिडौनी गाँव के पास ओर नदी के पर 45 मीटर ऊँचे और 2,218 मीटर लंबे इस बांध का निर्माण किया जाना है, जिससे 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलने का अनुमान है।
- इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 30.65 अरब रुपये है और इसके लिए 3,730 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें 968.24 हेक्टेयर वन भूमि है। इससे सात गाँव पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं और पाँच गाँव आंशिक रूप से। इसके अलावा लगभग 2,723.70 हेक्टेयर क्षेत्र के जलमग्न होने की उम्मीद है।
- चूंकि इसमें वन भूमि शामिल थी, इसलिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी से विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश के आधार पर इसके लिए वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए कहा था।
- इसके बाद, फरवरी 2019 में MoEFCC की वन सलाहकार समिति (FAC) द्वारा 968.24 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन की अनुमति भी दे दी गई थी।

- गौरतलब है कि पर्यावरण प्रभाव आंकलन के नियमों के अनुसार किसी भी परियोजना के निर्माण में पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के लिए जिस डाटा का उपयोग किया जाता है वह 18 माह के अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- ओर बांध के मामले में जिन आंकड़ों के आधार पर पर्यावरण मंजूरी दी गयी है वे आंकड़े 18 माह से अधिक पुराने थे। इसलिए विशेषज्ञ पैनल ने केन-बेतवा नदी इंटरलिंग परियोजना के अंतर्गत ओर नदी (Orr river) में बनाए जाने वाले बांध के लिए पर्यावरण मंजूरी को स्थगित कर दिया है।
- क्या है केन-बेतवा नदी इंटरलिंग परियोजना?
- सुखे से प्रभावित बुन्देलखण्ड इलाके में सिंचाई और पीने के लिये पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य बहु-प्रतीक्षित केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- यह परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में तैयार की गई की तीस प्रमुख नदियों को जोड़ने वाली 'नदी जोड़ो योजना' का ही हिस्सा है।
- केन नदी मध्य प्रदेश स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और 427 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना में मिल जाती है। वहीं बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और 576 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है।

- केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के पूरा होने पर मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जिले के 3.96 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा और झाँसी जिले के 2.65 लाख हेक्टेयर हिस्से पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।
- ये सभी जिले बुन्देलखण्ड के सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस परियोजना के तहत केन नदी का अतिरिक्त पानी 230 किलोमीटर लम्बी नहर के माध्यम से बेतवा नदी में डाला जाना है।
- केन-बेतवा नदी इंटरलिंगिंग परियोजना से जुड़े विवाद
- विशेषज्ञ समिति द्वारा इस परियोजना को स्थगित किया जाना अचंभित करने वाली बात नहीं है क्योंकि केन-बेतवा नदी इंटरलिंगिंग परियोजना अपनी शुरुआत से ही विवादास्पद रही है।
- विवाद की मुख्य वजह मध्य प्रदेश द्वारा योजना के दोनों चरणों को एक साथ जोड़े जाने की माँग और उत्तर प्रदेश द्वारा गैर वर्षा काल यानि रबी की फसल के लिये अधिक जल की माँग थी।
- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच नदियों को जोड़ने के लिये हुए पुराने समझौते के मुताबिक मध्य प्रदेश को 2650 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) और उत्तर प्रदेश को 1700 एमसीएम पानी दिया जाना था।
- वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश को रबी फसल के लिए 547 एमसीएम और खरीफ फसल के लिए 1153 एमसीएम पानी देना तय हो गया था। लेकिन वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की माँग पर रबी फसल के लिए 700 एमसीएम पानी देने पर

सहमति बन गई थी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 788 एमसीएम पानी देना तय कर दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2019 में 930 एमसीएम पानी मांग लिया था। जिसे मध्य प्रदेश ने इंकार कर दिया था।

- मध्य प्रदेश ने पानी की जरूरतों उल्लेख कहा है कि रबी के सीजन में उत्तर प्रदेश को रबी 700 एमसीएम और खरीफ में 1000 एमसीएम पानी ही दिया जा सकेगा। इससे ज्यादा पानी देने पर मध्य प्रदेश में 4.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की मुश्किलें आएंगी।
- केन-बेतवा नदियों को जोड़ने के सन्दर्भ में एक अन्य मुख्य आपत्ति पन्ना टाइगर रिजर्व का 5500 हेक्टेयर से ज्यादा हिस्से का योजना क्षेत्र के अंतर्गत आना था। लेकिन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (national board for wild life) ने सशर्त इस पर अपनी सहमति दे दी है।
- क्या है 'नदी जोड़ो योजना'?
- नदियों को आपस में जोड़ा जाना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। इस योजना में हिमालय से निकलने वाली 16 नदियों और प्रायद्वीप क्षेत्र से उद्गम वाली 14 नदियों को शामिल किया गया है। नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यबल (टीएफ-आईएलआर) का गठन किया है।
- नदी जोड़ो योजना' के तहत संबंधित राज्यों की सहमति के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु चार प्राथमिक संपर्कों जैसे केन-बेतवा संपर्क परियोजना (केबीएलपी) चरण-1 और II, दमनगंगा-पिंजाल

संपर्क, पार-तापी-नर्मदा संपर्क और महानदी-गोदावरी संपर्क की पहचान की गई थी। केन-बेतवा चरण-I और II, दमन-गंगा-पिंजाल संपर्क, पार-तापी-नर्मदा की डीपीआर तैयार करते हुए इसे संबंधित राज्यों के साथ साझा किया गया था। इसके साथ ही कावेरी-वैगई-गुंडार, दमनगंगा-पिंजाल और पार-तापी-नर्मदा जैसी नदी जोड़ परियोजनाओं के अलावा गोदावरी नदी के पानी को कावेरी बेसन की तरफ मोड़ने के वैकल्पिक प्रस्ताव, मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा नदी जोड़ परियोजना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को पबर्ती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना के साथ जोड़ने पर भी सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है।

- मध्य-प्रदेश और उत्तर-प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण लेकिन विवादित माने जाने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना का विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है।
- मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश को **750 MCM** (मिलियन क्यूबिक मीटर) या 750 अरब लीटर पानी देने को तैयार हो गया है।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में इस पर जल्द मुहर लगाया जा सकता है।
- विवाद अभी यह बना था कि उत्तर प्रदेश इस परियोजना से रबी सीजन के लिए **930 MCM** पानी मांग रहा था जबकि मध्य प्रदेश वर्ष 2005 के करार के अनुसार **700 MCM** पानी ही देना चाहता था।

- मध्य प्रदेश या कहता रहा है कि इस परियोजना से उसकी भूमि एवं वन संपदा का नुकसान हुआ है, इसलिए इस परियोजना से उसे लाभ भी अधिक मिलना चाहिए। जनतीय परिवारों के विस्थापन एवं पुनर्वास का भार भी मध्य प्रदेश ने ही झेला है।



## AT1 बांड क्या है और वित्त मंत्रालय ने इस पर क्या कहा है?

- बांड का हिंदी में अर्थ- प्रतिभूमि या ऋणपत्र होता है।
- बांड एक ऐसा निवेश है जिसमें निवेशक को कंपनी या सरकार से निश्चित समय तक और निश्चित (फिक्स) ब्याज दर पर ब्याज प्राप्त होती है। शेयर खरीद कर कोई व्यक्ति उतने हिस्से का मालिक बन जाता है और उसी अनुपात में लाभ और घाटा प्राप्त करता है। इसके विपरीत बांड धारक (खरीदने वाला) एक निश्चित आय और ब्याज ही प्राप्त करता है। शेयर के मूल्य में वृद्धि या कमी से उसका कोई मतलब नहीं होता है।
- जब कोई सरकार या सरकारी संस्था बांड जारी करती है तो इसे सरकारी बांड या ट्रेजरी बांड कहा जाता है। जब इसे किसी निगम द्वारा जारी किया जाता है तो इसे **Corporate Bonds** (कॉर्पोरेट बांड) कहा जाता है। जब यह स्थानीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है तो इसे **म्यूनिसिपल बांड** कहते हैं।
- बांड का एक प्रकार इस समय चर्चा में बना हुआ है जिसका नाम एडिशनल टियर (1) (AT1) बांड है, जिसे पर्पेचुअल बांड भी कहा जाता है। इसकी कोई निश्चित मैच्योरिटी नहीं होती है, और यह अनसेक्योर्ड (**Unsecured bonds**) बांड की कैटेगरी में आता है।

- **AT1 बांड Call option** वाले होते हैं अर्थात जारीकर्ता इन्हें वापस खरीद सकता है। इससे ऋणप्राप्तकर्ता अपने हिसाब से बांड जारी करता है और वापस खरीद लेता है। यह बैंकों की जरूरत को पूरा करने में मददगार होते हैं।
- इसमें निवेशक के लिए यह आकर्षण का भाग होता है कि इसमें स्थायी बांड से ज्यादा ब्याजदर होती है।
- यह बांड असुरक्षित इसलिए माना जाता है कि यदि बांड जारीकर्ता कंपनी। बैंक डूबती है तो **RBI** व बैंक इस प्रकार के बांड को राइट ऑफ (एक तरह से समाप्त) कर सकती हैं ऐस में निवेशकों का पैसा डूब जाता है।
- यस बैंक ने कुछ समय पहले **AT1** बांड जारी किया था, लेकिन बैंक जब डूबने लगा था तब 8500 करोड़ रुपये के बांड रद्द कर दिये गये थे। जिससे यह पैसा डूब गया था।
- बैंकों के लिए यह जरूरी होता है कि उनके पास **11.5% CAR (Capital Adequacy Ratio)** होना चाहिए। जिसमें **9%** ऐसेट (कैपिटल) टियर-1 कैपिटल होना चाहिए इसे कोर कैपिटल भी कहा जाता है। टियर-1 कैपिटल के अंतर्गत भी दो तरह के कैपिटल- **Common Equity Tier-1** व **Additional Tier-1** को शामिल किया जाता है। कॉमन इक्विटी टियर-1 पूंजी जहां कंपनी/बैंक की अपनी



संपत्ति होती है वहीं **Additional Tier-1** कैपिटल बाहर से लिया गया पैसा है। इसे ही बैंक प्राप्त करने के लिए **AT1** बांड जारी करती है।

- इस समय विभिन्न बैंकों ने 90000 करोड़ रुपये के **AT1** बांड जारी कर रखा है। इसमें से 35000 करोड़ रुपये का निवेश म्यूचुअल फंड कंपनियों ने किया है।
- **AT1** बांड की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है लेकिन **SEBI** ने हालिया अपने एक निर्णय में यह कहा कि **AT1** बांड के रूप म्यूचुअल फंड ने जो निवेश किया है, उस बांड की अवधि 100 वर्ष तक हो सकती है और म्यूचुअल फंड कंपनियों को इसे दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना चाहिए।
- इससे म्यूचुअल फंड ने जो 35000 करोड़ निवेश किया है, जिसके फसने की संभावना बढ़ गई थी और म्यूचुअल फंड ने इस निर्णय (आदेश) पर आपत्ति प्रकट की। इस निर्णय के बाद बांड की वैल्यु में कमी आई थी, जिससे कुल निवेश का मूल्य कम हो रहा था।
- **SEBI** का यह नियम बैंकों के लिए भी चुनौती बन गया था, क्योंकि उन्हें वित्त (कैपिटल) की आवश्यकता की पूर्ति जो **AT1** बांड से हो पाती थी, वह नहीं हो पायेगी क्योंकि निवेश कम आयेगा।
- **Covid-19** के बाद पुनः पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था के लिए वित्त मंत्रालय ने सही नहीं माना इसीलिए वित्त मंत्रालय ने **AT1** के विषय में जारी किये गये सर्कुलर को वापस लेने के लिए कहा है।

## अकुला-1 परमाणु पनडुब्बी

- भारत और रूस के बीच 11 मार्च 2021 को 3 अरब डॉलर का परमाणु पनडुब्बी अकुला-1 का करार 10 साल के लिए फाइनल हुआ। अकुला-1 को लेकर पिछले दो साल से मोलभाव और बात-चीत किया जा रहा है।
- करार के अनुसार रूस अकुला-1 क्लास पनडुब्बी, भारतीय नेवी को 2025 में सौंपेगा। यह 10 साल तक भारत के पास लीज पर रहेगा इसे भारत में चक्र-3 के नाम से जाना जाता है।
- करार के अनुसार रूस इसे भारत के अनुकूल बनाकर, आवश्यक उपकरण लगाकर देगा तथा अगले 10 साल तक के लिए इसकी मरम्मत और रख-रखाव भी करेगा।
- करार के अनुसार भारतीय नौ सैनिकों को इस पनडुब्बी को चलाने, इसकी तकनीकी से परिचित कराने की जिम्मेदारी रूस को दी गई है।
- यह पनडुब्बी एंटी शिप मिसाइल और टॉरपीडोज से लैस होगी।
- रूस से भारत ने पहली परमाणु पनडुब्बी 1988 में लिया था। यह तीन साल के लिए लीज पर मिली थी। इसे आईएनएस चक्र नाम दिया गया था।

- दूसरा आईएनएस चक्र रूस ने भारत को वर्ष 2012 में दिया था। इसकी लीज अवधि 10 वर्ष है। यह अवधि 2022 में समाप्त हो रही है। भारत इस अवधि को 3 वर्ष बढ़वाने का प्रयास कर रहा है ताकि जब तक चक्र-3 नौ सेना के पास आये तब तक यह अपनी सेवा देता रहे।
- भारत और रूस के मध्य हुआ यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय भारत और रूस के संबंध उतने मधुर नहीं हैं, जितने अतीत में हुआ करते थे।